(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोडोलैंड प्रादेशिक स्वायत्त जिला (बी.टी.ए.डी.) परिषद ने बी.टी.ए.डी. क्षेत्र में हाल के दंगे में विस्थापित लोगों को उनके भूमि अभिलेख मतदाता सूची में नाम के अनुसार पुनर्वास करने का निर्णय लिया है और राहत शिविरों में इसके बिना रहने वाले सहवासियों का बी.टी.ए.डी. क्षेत्र में पुनर्वास नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त राहत शिविरों में रहने वाले ऐसे सहवासियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की ऐसे संदिग्ध सहवासियों को जो राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें राज्य के दूसरे हिस्से में बसाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)**

**(क) से (घ) : जी, हां। ऐसी मांगे हैं। ये आशंकाएं है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का फायदा उठाकर सीमा पार से कुछ घुसपैठिए/अवैध आप्रवासी काउंसिल एरिया में चोरी-छिपे आ सकते हैं।**

 **बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित अवैध रुप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां विदेशी विषयक अधिनियम 1964 की धारा 3(2) (ग) के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित की गई हैं। असम राज्य में विदेशियों/अवैध अप्रवासियों का पता लगाने के लिए अगस्त, 2009 में मंजूर अतिरिक्त चार (4) विदेशी विषयक न्यायाधिकरण सहित छत्तीस (36) विदेशी विषयक न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं।**

 **सरकार ने सीमा सुरक्षा बल का सुदृढ़ीकरण किए जाने और उन्हें अधुनातन उपकरणों से सुसज्जित करने, सीमा चौकियों के बीच के अंतराल को कम करने और भारत-बांग्लादेश सीमा पर गहन गश्त करने से संबंधित कदम उठाए हैं। बांग्लादेश सीमा पर सीमा बाड़ को सुदृढ़ किया जा रहा है और सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। बांग्लादेश से आने वाले अवैध आप्रवासियों के मुद्दे को विभिन्न मंचों पर नियमित रुप से उठाया जाता है और समन्वित तरीके से गश्त कार्य करने, सुभेद्य अंतरालों की पहचान करने, नदी-घाटीय गश्त कार्य इत्यादि को सुदृढ़ करने के कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश सरकार से भी अपने राष्ट्रिकों को अवैध रुप से, विशेषकर सुभेद्य और नदी घाटीय क्षेत्रों के जरिए, भारत आने से रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने का अनुरोध किया गया है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण और बाड़ लगाए जाने से बांग्लादेश से भारत में होने वाले अवैध आप्रवासन को प्रभावी तरीके से रोकने में मदद मिली है।**